



मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Headquarters, Employees' State Insurance Corporation

आई एस ओ 9001:2000 प्रमाणित ISO 9001:2000 certified

पंचदीप भवन, सी. आई. जी. मार्ग, नई दिल्ली 110002

Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

www.esic.nic.in



संख्या: यू-16/18/1/6/07-चिकि.1

दिनांक : 26 अप्रैल, 2010

सेवा में,

1. सचिव, सभी राज्य सरकार, क.रा.बी.योजना से संबंधित ।
2. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.अस्पताल ।
3. सभी वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त ।
4. सभी क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक ।
5. सभी संयुक्त निदेशक(वित्त)/उप निदेशक(वित्त)/सहायक निदेशक(वित्त) ।
6. सभी निदेशक, क.रा.बी.योजना ।

विषय: क.रा.बी.अस्पतालों के लिए अस्पताल विकास समितियों की स्थापना-कार्य एवं प्रक्रियाएं ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.07.2008, 13.10.2008 तथा 15.04.2010 को कृपया देखें । उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित अतिरिक्त अनुदेशों का भी पालन किया जाए ।

1. क.रा.बी.निगम मॉडल अस्पताल की अस्पताल विकास समिति मॉडल अस्पतालों को अपने अधिकार में लेने से पूर्व मॉडल अस्पतालों से संबद्ध क.रा.बी.निगम के स्वामित्व वाले औषधालयों के औषधालय भवनों की मरम्मत और रख-रखाव की देखभाल करेगी ।
2. संबंधित क.रा.बी.निगम मॉडल अस्पताल संबद्ध औषधालयों की मरम्मत और रख-रखाव पर उपगत व्यय का अलग से रिकार्ड रखेगा ।

यह महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(डॉ. एस.के. जैन)

उप चिकित्सा आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य इंजीनियर/संपत्ति प्रबंधन प्रभाग, मुख्यालय ।
2. महानिदेशक/वित्त आयुक्त/बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त के निजी सचिव ।
3. राजभाषा शाखा, मुख्यालय ।
4. निदेशक, प्रणाली को इस अनुरोध के साथ कि इसे वेबसाइट पर अपलोड करें ।

उप चिकित्सा आयुक्त